

लेटर्स पेटेंट अपील

मुख्य न्यायमूर्ति हरबंस सिंह और न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन, के समक्ष

मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कं, करनाल-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य और एक अन्य -उत्तरदाता

लेटर्स पेटेंट अपील नं. 37 of 1970

अक्टूबर 15, 1970.

पंजाब सामान्य बिक्री कर (1948 का XLVI) - धारा 5 (2) (ए) (vi) और अनुसूची बी, आइटम 15 - चावल और धान - क्या दो अलग-अलग 'सामान' - धान को धान के रूप में नहीं बेचा जाता है, बल्कि उससे निकाला गया चावल बेचा जाता है - सकल कारोबार से कटौती - क्या धान की खरीद पर कारोबार की सीमा तक स्वीकार्य है - शब्द "चोकर" - चाहे "भूसी" शब्द में शामिल हो - विधियों की व्याख्या - कानून में शब्द - कानून में शब्द - कैसे व्याख्या की जाए.

अभिनिर्धारित किया कि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि धान और चावल दो अलग-अलग वस्तुएं हैं और किसी भी व्यक्ति द्वारा एक ही नहीं मानी जाती हैं, चाहे वह खरीदार, वाणिज्यिक समुदाय का सदस्य या उपभोक्ता हो। इन दोनों वस्तुओं का उपयोग भी अलग-अलग है। धान का उपयोग फसल उगाने के लिए बीज के रूप में किया जाता है जबकि चावल मनुष्यों द्वारा दुनिया भर में उपयोग किया जाने वाला एक मुख्य भोजन है। जिस प्रक्रिया के द्वारा चावल के निष्कर्षण के लिए धान की भूसी की जाती है, उसमें निश्चित रूप से विनिर्माण प्रक्रिया शामिल होती है और इसके परिणामस्वरूप 'धान' से अलग वस्तु का उत्पादन होता है जिसे व्यापार और उपभोक्ताओं के लिए 'चावल' के रूप में जाना जाता है। इसलिए पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 5 (2) (ए) के तहत एक डीलर को

कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जैसा कि पंजाब और हरियाणा दोनों पर लागू होता है, अगर धान को धान के रूप में नहीं बेचा जाता है, लेकिन इसमें से पका हुआ एक पंजीकृत डीलर को बेचा जाता है या देश से बाहर निर्यात के दौरान बेचा जाता है।

(अनुच्छेद 5 और 6)

अभिनिर्धारित किया कि, कि "चोकर" शब्द को 'भूसी' शब्द में शामिल किया गया है जैसा कि अधिनियम की अनुसूची बी के आइटम 15 में उपयोग किया गया है।

(अनुच्छेद 7)

अभिनिर्धारित किया कि, कि किसी अधिनियम के शब्द जो किसी विशेष विज्ञान या कला पर लागू नहीं होते हैं, उन्हें लोकप्रिय अर्थों में समझा जाना चाहिए। इस शब्द को न तो किसी तकनीकी अर्थ में और न ही यांत्रिक दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए, बल्कि जैसा कि आम बोलचाल में समझा जाता है। यदि इस शब्द को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, तो इसे इसके लोकप्रिय अर्थ में समझा जाना चाहिए, जिस विषय-वस्तु के साथ कानून काम कर रहा है, वह इसे विशेषता देगा।

(अनुच्छेद 4)

माननीय न्यायमूर्ति श्री बाल राज तुली के दिनांक 9 जनवरी, 1970 के आदेश के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खण्ड 10 के अंतर्गत लेटर्स पेटेंट अपील सिविल रिट सं 1970 में पारित की गई थी। 1968 का 3688.

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता आनंद स्वरूप और अधिवक्ता एस. एम. आशरी।

प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट-जनरल (हरियाणा) के वकील आरएन मित्तल.

निर्णय

इस न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा दिया गया था -

न्यायमूर्ति पी. सी. जैन-

1. यह निर्णय और आदेश, जैसा कि पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, एलपीए नंबर 37 के साथ-साथ 1970 के एलपीए नंबर 59, 61, 62, 75, 76, 81, 82, 83, 84 और 145 और 1969 के सिविल रिट 2816, 2772, 2478 और 3085 का निपटारा करेगा। पंजाब राज्य के विरुद्ध 1970 की धारा 313, 356, 622, 1196, 1267 और 1362 इन सभी मामलों में कानून का सामान्य प्रश्न उठता है। 1970 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 37 पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद स्वरूप ने बहस की और उनकी दलीलों को अन्य मामलों में विद्वान वकील द्वारा अपनाया गया।
2. अपीलकर्ता या याचिकाकर्ता, जैसा भी मामला हो, इन मामलों में धान खरीदने का व्यवसाय करते हैं और इसे अपनी मिलों या दूसरों की मिलों में भूसी प्राप्त करने के बाद, चावल को सरकारी और अन्य पंजीकृत डीलरों को बेचते हैं। धान की खरीद पर वे खरीद कर का भुगतान करते हैं; उनका दावा है कि उनके कर योग्य टर्न ओवर का निर्धारण करते समय, उन्हें पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) के तहत धान के खरीद मूल्य की सीमा तक कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा कि पंजाब और हरियाणा राज्यों पर लागू होता है (इसके बाद पंजाब अधिनियम और हरियाणा अधिनियम के रूप में संदर्भित)। इस प्रकार, इन सभी मामलों में विचार के लिए जो विशिष्ट प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या धान और चावल एक ही 'माल' हैं या दो अलग-अलग 'सामान' हैं और क्या किसी भी अवधि के लिए सकल टर्नओवर से कटौती धान की खरीद पर टर्नओवर की सीमा तक स्वीकार्य है, भले ही धान की

बिक्री नहीं की जाती है, लेकिन चावल जो भूसी के बाद निकाला जाता है, अधिनियम की धारा 5 (2)(क)(vi) में निर्धारित समय के भीतर बेचा जाता है। अधिनियम के विशिष्ट प्रावधान, जिनसे हम संबंधित हैं, निम्नानुसार हैं -

हरियाणा अधिनियम-

“धारा 2 (एफएफ): अपनी सभी व्याकरणिक भिन्नताओं या आत्मीय अभिव्यक्तियों के साथ 'खरीद' का अर्थ है अनुसूची 'सी' में निर्दिष्ट वस्तुओं का नकद या आस्थगित भुगतान या बंधक, बंधक, प्रभार या प्रतिज्ञा के अलावा अन्य मूल्यवान विचार के लिए अधिग्रहण

* * * * *

"2(i) 'टर्नओवर' में शामिल हैं - दी गई अवधि के दौरान किसी भी डीलर द्वारा वास्तव में की गई बिक्री और खरीद की राशि और बिक्री खरीद के कुछ हिस्सों को सामान्य व्यापार अभ्यास के अनुसार नकद छूट के रूप में अनुमत राशि से कम है, लेकिन इसमें डीलर द्वारा माल के संबंध में की गई किसी भी चीज के लिए प्रभारित कोई राशि शामिल है, या उसके वितरण से पहले।

स्पष्टीकरण- (1) किसी डीलर द्वारा पंजाब के बाहर की गई किसी भी बिक्री की आय, जो पंजाब के अंदर और बाहर दोनों में व्यवसाय करता है, को कारोबार में शामिल नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-(2) वायदा संविदाओं के लेन-देन के संबंध में किसी डीलर का कारोबार, जिसमें माल वास्तव में वितरित नहीं किया गया है, को कारोबार में शामिल नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- (3) किसी भी सामान की बिक्री की आय, जिसकी खरीद पर इस अधिनियम के

तहत कर लगाया जाता है, या किसी भी सामान का खरीद मूल्य, जिसकी बिक्री पर इस अधिनियम के तहत कर लगाया जाता है, को कारोबार में शामिल नहीं किया जाएगा।

* * * * *

4. (2क) उपधारा (1) क और (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, किसी भी सामान की बिक्री पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा यदि उनकी खरीद पर कर इस अधिनियम के तहत देय है।

* * * * *

5(2) इस अधिनियम में 'कर योग्य कारोबार' का अर्थ किसी भी अवधि के दौरान डीलर के सकल कारोबार का वह हिस्सा है जो उसमें से कटौती के बाद रहता है।

(a) उस अवधि के दौरान उसका कारोबार—

* * * * *

(i) माल की खरीद—

ए). 1 अप्रैल, 1960 से शुरू होने वाली अवधि के दौरान और पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1967 के लागू होने के साथ समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में, जो उस वर्ष की समाप्ति के

छह महीने के बाद किसी पंजीकृत डीलर को, या अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के क्षेत्र से बाहर निर्यात के दौरान बेचा जाता है;

बी). पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन और विधिमान्यकरण, अधिनियम, 1967) के शुरू होने के बाद किसी भी समय।

(i) जो अनुसूची सी में निर्दिष्ट हैं और वर्ष के दौरान एक पंजीकृत डीलर को बेचे जाते हैं, या अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के क्षेत्र से बाहर निर्यात के दौरान:

बशर्ते कि किसी पंजीकृत डीलर को पैराग्राफ (ए) या पैराग्राफ (बी) के उप-पैराग्राफ (आई) में संदर्भित बिक्री के मामले में, निर्धारित फॉर्म में एक घोषणा और पंजीकृत डीलर द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया जाता है, जिसे माल बेचा जाता है, डीलर द्वारा कटौती का दावा करते हुए प्रस्तुत किया जाता है:

बशर्ते कि पैराग्राफ (ए) या पैराग्राफ (बी) के उप-पैराग्राफ (आईजे) में निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद उन में निर्दिष्ट अवधि के भीतर बिना बिके रह जाती है, पैराग्राफ को निम्नलिखित वर्ष के दौरान कटौती का दावा करने वाले डीलर की खरीद माना जाएगा।

पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1967 द्वारा गठित अनुसूची 'ग' में निम्नलिखित वस्तुओं की गणना की गई है:-

1. राल (कूड पाइन-गम)
2. पेड़
3. मूँगफली

अधिनियम की अनुसूची 'बी' में कर मुक्त वस्तुओं की गणना की गई है अर्थात् ऐसी वस्तुएं जिनकी बिक्री पर कोई कर देय नहीं है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा माल से संबंधित प्रविष्टियों को जोड़ने या हटाने के लिए इस अनुसूची में संशोधन कर सकती है, ऐसा करने के अपने इरादे की कम से कम 30 दिनों की सूचना देने के बाद। इस अनुसूची में धान से भूसी जाने पर चावल, जिसके संबंध में खरीद कर का भुगतान किए जाने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में हरियाणा सरकार की अधिसूचना सं 2008-02 द्वारा जोड़ा गया था। इसलिए एलआईएल / 46/48/एस 6/67, दिनांक 21 नवंबर, 1967 और बाद में 26 दिसंबर, 1967 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.31/पीए 47/48/एस 6/67 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

3. पंजाब अधिनियम के तदनुसूची प्रावधान निम्नानुसार हैं -

“2(ff) अपनी सभी व्याकरणिक भिन्नताओं या आत्मीय अभिव्यक्तियों के साथ 'खरीद' का अर्थ है अनुसूची 'सी' में निर्दिष्ट वस्तुओं का नकद या स्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए अन्यथा बंधक, हाइपोथेकेशन, चार्ज या प्रतिज्ञा के तहत;

* * * * *

2(i) 'टर्नओवर' में शामिल हैं—

दी गई अवधि के दौरान किसी भी डीलर द्वारा वास्तव में की गई बिक्री और खरीद की मात्रा और बिक्री खरीद के कुछ हिस्सों का कुल योग सामान्य व्यापार अभ्यास के अनुसार नकद छूट के रूप में अनुमत है, लेकिन इसमें डिलीवरी के समय या उससे पहले डीलर द्वारा माल के संबंध में की गई किसी भी चीज के लिए चार्ज की गई कोई भी राशि शामिल है।

स्पष्टीकरण- (1) किसी डीलर द्वारा पंजाब के बाहर की गई किसी भी बिक्री की आय, जो पंजाब

के अंदर और बाहर दोनों में व्यवसाय करता है, को कारोबार में शामिल नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-(2) वायदा संविदाओं के लेन-देन के संबंध में किसी डीलर का कारोबार, जिसमें माल वास्तव में वितरित नहीं किया गया है, को कारोबार में शामिल नहीं किया जाएगा।

* * * * *

4. (2क) उपधारा (1) और (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, किसी भी वस्तु की बिक्री पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा यदि इस अधिनियम के तहत उनकी खरीद पर कर देय है।

* * * * *

5(2) इस अधिनियम में 'कर योग्य कारोबार' का अर्थ किसी भी अवधि के दौरान डीलर के सकल कारोबार का वह हिस्सा है जो उसमें से कटौती के बाद रहता है।

(a) उस अवधि के दौरान उसका कारोबार—

* * * * *

(vi) उन वस्तुओं की खरीद जो वर्ष की समाप्ति के छह महीने बाद किसी पंजीकृत डीलर को, या अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के क्षेत्र से बाहर निर्यात के दौरान बेची जाती हैं।:

बशर्ते कि पंजीकृत डीलर को इस तरह की बिक्री के मामले में, एक घोषणा, निर्धारित फॉर्म

में और पंजीकृत डीलर द्वारा विधिवत भरी और हस्ताक्षरित की जाती है, जिसे माल बेचा जाता है, कटौती का दावा करते हुए डीलर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

पंजाब राज्य में लागू अनुसूची 'ग' में निम्नलिखित वस्तुओं की गणना की गई है (केवल प्रासंगिक मदों को पुनः प्रस्तुत किया जाता है): -

* * * * *

* * * * *

(8) धान

(9) चावल

* * * * *

* * * * *

4. इन सभी मामलों में विवाद यह रहा है कि धान और एक ही वस्तु हैं और इस प्रस्ताव के समर्थन में विभिन्न शब्दकोशों में इन शब्दों के अर्थों का संदर्भ दिया गया था, लेकिन इन शब्दों के शब्दकोश अर्थों को पुनः पेश करना आवश्यक नहीं है क्योंकि कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत विभिन्न निर्णयों में और साथ ही क्रेस द्वारा 'संविधि कानून पर ग्रंथ' में भी निर्धारित किए गए हैं कि एक विशेष शब्द कैसे है। किसी संविधि में होने वाली घटनाओं का अर्थ लगाया जाना चाहिए। यह पहला मामला रामावतार बुधईप्रसाद बनाम सहायक बिक्री कर अधिकारी, अकोला और दूसरा¹ है। उस मामले में सवाल यह था कि क्या पान के पत्ते सीपी और बरार बिक्री कर अधिनियम, 1947 की अनुसूची II के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 6 के तहत कर योग्य थे। उस

¹ (1961) 12 एस.टी.सी 286.

मामले में करदाता याचिकाकर्ता की दलील थी कि पान के पत्ते शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में परिभाषित सब्जियों की परिभाषा के दायरे में आते हैं और इस तरह, बिक्री कर से छूट दी जाएगी, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप ने इस प्रकार कहा: –

“लेकिन इस शब्द को किसी भी तकनीकी अर्थ में या वनस्पति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आम बोलचाल में समझा जाना चाहिए। इसे अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है और रोजमर्रा के उपयोग का एक शब्द होने के नाते इसे इसके लोकप्रिय अर्थ में माना जाना चाहिए, जिसका अर्थ है 'वह अर्थ जो लोग उस विषय-वस्तु से परिचित हैं जिसके साथ कानून काम कर रहा है।”

मामले के इस पहलू पर सुप्रीम कोर्ट का अगला मामला बिक्री कर आयुक्त, मध्य प्रदेश, इंदौर बनाम जसवंत सिंह चरण सिंह² में रिपोर्ट किया गया है। उस मामले में जो मुद्दा शामिल था वह यह था कि क्या कोयला शब्द में चारकोल को शामिल किया जाएगा और इसलिए, मध्य प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1958 की अनुसूची II के भाग III की प्रविष्टि I लागू होगी और कर केवल 2 प्रतिशत पर लगाया जाएगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि 'चारकोल' अनुसूची II के भाग III की प्रविष्टि I द्वारा कवर किया जाएगा और 2% कर योग्य है। विशेष अनुमति से अपील करने पर, उनके लॉर्डशिप ने उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा और व्याख्या के मामले पर इस प्रकार टिप्पणी की: -

“अब, इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि जबकि कोयले को तकनीकी रूप से एक खनिज उत्पाद के रूप में समझा जाता है, लकड़ी का कोयला मानव एजेंसी द्वारा लकड़ी और अन्य चीजों जैसे उत्पादों से निर्मित होता है। लेकिन अब यह अच्छी तरह से तय हो

² (1967) 19 एस.टी.सी. 469.

गया है कि बिक्री कर अधिनियमों जैसे कानूनों में वस्तुओं की व्याख्या करते समय, ऐसे शब्दों के वैज्ञानिक या तकनीकी अर्थ का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि उनके लोकप्रिय अर्थ या उनसे जुड़े अर्थ के लिए होना चाहिए, जो उनसे संबंधित हैं, अर्थात्, उनके वाणिज्यिक अर्थ के लिए।”

विभिन्न निर्णयों को देखने के बाद, इसे आगे आयोजित किया गया। :

“इन निर्णयों का परिणाम यह है कि अनुसूची-II के भाग-III की प्रविष्टि-I में कोयला शब्द का अर्थ लगाते समय यह परीक्षण किया जाएगा कि कोयले से संबंधित व्यक्तियों और ईंधन के रूप में इसे खरीदने वाले उपभोक्ताओं द्वारा उस शब्द का क्या अर्थ निकाला जाएगा। एक बिक्री कर कानून, जो वस्तुओं पर कर लगाता है, को तकनीकी शब्द या विज्ञान या कला के शब्द के अभाव में, यह माना जाना चाहिए कि आम बोलचाल में इसके अर्थ के अनुसार कोयले के रूप में एक साधारण शब्द का उपयोग किया गया है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोयले का कारोबार करने वाला व्यापारी और इसे खरीदने के इच्छुक उपभोक्ता दोनों कोयले को अपने भूवैज्ञानिक अर्थ में नहीं बल्कि सामान्य रूप से समझे जाने वाले अर्थ में मानते हैं और 'कोयला' शब्द में 'चारकोल' को शामिल करेंगे। यह केवल तभी होगा जब कोयले के प्रकार या किस्म का सवाल उठेगा कि कोयले और लकड़ी का कोयला के बीच अंतर किया जाएगा; अन्यथा, दोनों को सामान्य बोलचाल में और उनके व्यावसायिक अर्थों में कोयला के रूप में भी कहा जाएगा।”

अगला मामला जिसका उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है, पंजाब राज्य और अन्य बनाम चंदू लाल किशोरी लाल आदि³ में रिपोर्ट किया गया है। उस मामले में, सवाल यह था कि क्या जिनिंग के बाद

³ ए.आई.आर., 1969 एस.सी. 1073.

जिन्ड कपास और कपास-बीज की बिक्री पर, सकल टर्न ओवर से बेचे गए माल के खरीद मूल्य को काटने के बाद कर योग्य टर्न-ओवर निर्धारित किया जाना था। न्यायालय ने एक दृष्टिकोण अपनाया है जैसा कि पटेल कॉटन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य और अन्य⁴ मामले में रिपोर्ट किए गए फैसले से स्पष्ट है कि कपास की जिनिंग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया शामिल नहीं है और जिनिंग की प्रक्रिया कुछ भी नया या विशिष्ट नहीं बनाती है, जहां एक डीलर ने एक निश्चित मात्रा में बिना कपास की बिक्री की है और जिनिंग के बाद कपास बेची है। जिन्ड कपास और कपास के बीजों की पूरी मात्रा में, उसे पूरी अनगिन्ड कपास को बेचने के लिए माना जाना चाहिए जिसे उसने खरीदा था और यदि बिक्री किसी पंजीकृत डीलर को निर्दिष्ट समय के भीतर या अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान, या भारत के क्षेत्र से बाहर जाने के दौरान की गई थी, तो धारा 5 (2) (vi) के तहत अप्रकाशित कपास के खरीद मूल्य की पूरी कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए। पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 1948 के अनुसार जहां जिनिंग की आय का केवल एक हिस्सा ही निपटान किया गया था, वहां तदनुरूपी डीडक्टेसन की अनुमति दी जानी चाहिए और ऐसी स्थिति में आकलन प्राधिकारी को धारा 5(2) (6) के अनुसार वास्तव में निपटाए गए कपास या कपास के बीजों का खरीद मूल्य निर्धारित करना था। उनके लॉर्डशिप इस न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे और चंदूलाल किशोरी लाल के मामले (3) (सुप्रा) में इसे रद्द कर दिया और कहा: -

“यह सच है कि कपास अपनी अविकसित अवस्था में कपास के बीज होते हैं। लेकिन यह एक विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा है कि कपास और बीज को अलग किया जाता है और यह कहना सही नहीं है कि इस तरह अलग किए गए बीज कपास या कपास का हिस्सा हैं। वे दो अलग-अलग वाणिज्यिक सामान हैं, हालांकि विनिर्माण प्रक्रिया से पहले बीज कपास का ही एक हिस्सा हो सकते हैं। इसलिए इस विवाद के लिए कोई वारंट नहीं है कि कपास का बीज

⁴ (1964) 15 एस.टी.सी. 865.

कपास से अलग नहीं है। यह इस प्रकार है कि प्रतिवादी अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) (6) के तहत खरीद कारोबार से कपास-बीज के बिक्री मूल्य को काटने का हकदार नहीं है। हमारी राय में, आकलन प्राधिकरण का यह कहना सही था कि प्रतिवादी पंजीकृत डीलरों को बेचे गए कपास-बीज के संबंध में कटौती का हकदार नहीं था।

संविधि कानून पर क्रेज़ में, 5 वें संस्करण, पृष्ठ 153 में, अटॉर्नी जनरल बनाम विनस्टेनली⁵ में लॉर्ड टेंटरडेन के फैसले का संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि "संसद के एक अधिनियम के शब्द जो किसी विशेष विज्ञान या कला पर लागू नहीं होते हैं" का अर्थ लगाया जाना चाहिए "जैसा कि उन्हें सामान्य भाषा में समझा जाता है"। लेखक आगे कहता है कि महत्वपूर्ण परिष्करण और सूक्ष्म भेदों से बचना चाहिए, और भाषा के स्पष्ट और लोकप्रिय अर्थों का पालन किया जाना चाहिए, एक सामान्य नियम के रूप में। कार्गो एक्स शिलर में एक निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है, ⁶जहां जेम्स, एलजे ने इन शब्दों में समान विचार व्यक्त किए हैं: –

“मैं अपने निर्णय को कानून के शब्दों पर आधारित करता हूँ क्योंकि वे सादे लोगों द्वारा कम किए जाएंगे जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं; एडमिरल्टी की अदालत, या फ्लोट्सम, लगन और जेटम की तकनीकी समीक्षा।”

ऊपर उल्लिखित विभिन्न निर्णयों से, मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि "किसी अधिनियम के शब्दों से जो किसी विशेष विज्ञान या कला पर लागू नहीं होते हैं, उन्हें लोकप्रिय अर्थों में समझा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, शब्द को किसी भी तकनीकी अर्थ में या यांत्रिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आम बोलचाल में समझा जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट है कि यदि कोई शब्द अधिनियम में परिभाषित नहीं है, लेकिन रोजमर्रा के उपयोग का शब्द है, तो इसे अपने लोकप्रिय अर्थ में माना जाना चाहिए, जिसके साथ कानून

⁵ (1931) 2 डॉव-और सीआई 302 (6 ईआर 740).

⁶ (1877) 2 पी.डी. 145, पृष्ठ 161.

काम कर रहा है।

5. इन मामलों में शामिल प्रश्न पर उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि धान और चावल दो अलग-अलग वस्तुएं हैं और किसी भी व्यक्ति द्वारा एक ही नहीं माना जाता है, चाहे वह खरीदार, वाणिज्यिक समुदाय का सदस्य या उपभोक्ता हो। दोनों वस्तुओं का उपयोग अलग-अलग है। धान का उपयोग फसल उगाने के लिए बीज के रूप में किया जाता है जबकि चावल एक प्रधान तह है जिसका उपयोग मनुष्यों द्वारा दुनिया भर में किया जाता है। अपने मूल कच्चे रूप में धान का उपयोग मानव उपभोग के लिए नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति चावल खरीदने के लिए बाजार जाता है और मांगता है तो उसे धान नहीं दिया जाएगा और न ही वह चावल के स्थान पर इसे स्वीकार करेगा और इसके विपरीत। चावल निकालने के लिए धान की भूसी जिस प्रक्रिया से की जाती है, उसमें निश्चित रूप से विनिर्माण प्रक्रिया शामिल होती है। चंदूलाल किशोरी लाई के मामले (3) (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप के नवीनतम निर्णय को ध्यान में रखते हुए , इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप धान से अलग वस्तु का उत्पादन होता है, जिसे व्यापार के लिए लोकप्रिय रूप से जाना जाता है और उपभोक्ताओं को धान से अलग 'चावल' के रूप में जाना जाता है।
6. इसके अलावा, विधायिका ने इन दो वस्तुओं को स्वतंत्र और अलग माना है। पंजाब में, अधिसूचना संख्या एस.ओ.7/पीए द्वारा। दिनांक 15 जनवरी, 1968 की अधिसूचना सं 46/48/एस 31/68 में धान और चावल को अनुसूची 'ग' में अलग-अलग मद संख्या 8 और 9 में दर्शाया गया है। हरियाणा अधिनियम में, अनुसूची 'सी' में केवल धान को आइटम नंबर 2 पर दिखाया गया है, जबकि चावल को अनुसूची 'बी' में आइटम नंबर 76 पर दिखाया गया है, यह दर्शाता है कि दोनों आइटम अलग-अलग हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विधायिका ने इन

दो वस्तुओं को अलग और स्वतंत्र माना है। कानून में कोई अस्पष्टता नहीं है और किसी भी दृष्टिकोण से विचार किया जाता है, हमारा विचार है कि धान और चावल दो अलग-अलग वस्तुएं हैं और पंजाब और हरियाणा के अधिनियम की धारा 5 (2) (ए) के तहत डीलर को कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अगर धान को धान के रूप में नहीं बेचा जाता है, लेकिन इसमें से निकाले गए चावल को पंजीकृत डीलर को या निर्यात के दौरान बेचा जाता है। देश का। इस विवाद के सभी पहलुओं पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पूरी तरह से विचार किया गया है और हमें अलग दृष्टिकोण लेने का कोई आधार नहीं मिलता है।

7. सिविल रिट संख्या 1362/1970 (मेसर्स ठाकर दास मूल चंद बनाम कर निर्धारण प्राधि करण, आबकारी और कराधान विभाग) में एक अतिरिक्त आधार लिया गया जो इस प्रकार पढ़ता है:-

“यह कि आकलन प्राधिकरण ने 14,307 रुपये के दावे को अस्वीकार करके गलती की है। (ख) चोकर की बिक्री को कर-मुक्त दावे से बाहर रखने के संबंध में 72 पी। चोकर पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की अनुसूची 'बी' के आइटम 15 के अंतर्गत आता है। धारा 5 (2) (ए) (6) के तहत 14,307.72 रुपये के दावे की अनुमति दी जानी चाहिए थी। अधिनियम और इस स्कोर पर 858.42 रुपये की वापसी की अनुमति दी जानी चाहिए थी।”

संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं के वकील श्री एन एल ढींगरा का तर्क यह था कि 'चोकर' पंजाब अधिनियम की अनुसूची 'बी' के आइटम नंबर 15-द्वारा कवर किया गया था, जिसमें "सभी खाद्यान्नों और दालों की भूसी" लिखा था। विद्वान वकील के अनुसार, 'चोकर' शब्द 'भूसी' में शामिल है। हमारे विचार में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की दलील में काफी बल है। इस अधिनियम में भूसी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दिए गए इसके शब्दकोश का अर्थ इस प्रकार है: –

“कुछ फलों और बीजों का सूखा बाहरी हिस्सा; एक गोंद या छिलका; मक्का या भारतीय मकई के कान का बाहरी आवरण.”

अब देखना होगा कि 'भूसी' शब्द में 'चोकर' को शामिल किया जाता है या नहीं। इस उद्देश्य के लिए हमें 'चोकर' शब्द की परिभाषा पर गौर करना होगा, जो हिंदी-पंजाबी कोष में उपलब्ध है, जिसे पंजाबी विभाग, पटियाला द्वारा अपने संस्करण 1953 में प्रकाशित किया गया है, जहां इसका अर्थ है, "अते दा छानास, कनक, जाओं आदि दा छिल्का, छन, बूरा"। भाषा विभाग, पंजाब द्वारा प्रकाशित आंग्ल-हिंदी-पंजाबी प्रशासनिक एवं सामान्य शब्दावली के संस्करण 1962 में 'चोकर' शब्द का हिंदी अर्थ 'चोकर, भूसी' है। शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दी गई 'ब्रान' शब्द की परिभाषा में 'चोकर' भी शामिल है। परिभाषा इस प्रकार है:-

“गेहूं, जौ, जई आदि की भूसी, पीसने के बाद आटे से अलग हो जाती है; तकनीक, इसका सबसे बड़ा हिस्सा”.

इस प्रकार, इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि 'चोकर' शब्द 'भूसी' शब्द में शामिल है जैसा कि अनुसूची 'बी' में आइटम नंबर 15 में उपयोग किया गया है। श्री एम. आर. शारिपा, विद्वान उप महाधिवक्ता इस संबंध में मूल्यांकन प्राधिकारी के आक्षेपित आदेश के समर्थन में कोई तर्क नहीं दे सके। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि 'चोकर' शब्द आइटम नंबर 15 में शामिल है और आकलन प्राधिकरण को 'चोकर' की बिक्री के संबंध में याचिकाकर्ताओं के दावे की अनुमति देनी चाहिए थी।

8. दोनों पक्षों की ओर से कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया।

9. 1970 के एल.पी.ए. संख्या 7, 59, 61, 62, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84 और 145, सिविल रिट संख्या 2478, .2772, 2816 और 3085 के ऊपर दर्ज कारणों के लिए 1969 के सिविल रिट नंबर 2478, .2772, 2816 और 3085 को खारिज कर दिया गया है। कला वतन सिंह ज्ञानी बनाम पंजाब राज्य, आदि (सोढ़ी, जे लागत के बारे में कोई आदेश न दें। 1970 की सिविल रिट संख्या 1362 को इस हद तक अनुमति दी जाती है कि कर निर्धारण प्राधिकरण के 16 मार्च, 1970 के आदेश (याचिका के अनुलग्नक 'ए' की प्रति) को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें कर मुक्त दावे में से 'चोकर' की बिक्री के संबंध में 14,307.72 रुपये के दावे को अस्वीकार कर दिया गया था, जबकि अन्य सभी मामलों में रिट याचिका को लागत के बारे में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
पलवल, हरियाणा